

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2026 दि0 लखनऊ: अप्रैल 17, 2026

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के युगलपीठ गठन आदेशांक 293/2026 दिनांक 13.03.2026 के द्वारा माह अप्रैल, 2026 में दिनांक 23.04.2026 से 25.04.2026 तक न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 वाराणसी एवं विभागीय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी को नामित किया गया है।

सदस्य, पीठ-1 वाराणसी के द्वारा पत्र संख्या 207/2026 दिनांक 16.04.2026 से सूचित किया गया है कि "दिनांक 25.04.2026 को वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने दिल्ली जाना है ऐसी स्थिति में युगल पीठ में दिनांक 25.04.2026 को सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा।" अतः दिनांक 23.04.2026 से 25.04.2026 तक अथवा दिनांक 25.04.2026 की खण्डपीठ निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश संख्या-293/2026 दिनांक 13.03.2026 द्वारा जनपद वाराणसी में दिनांक 23.03.2026 से 25.03.2026 तक गठित युगलपीठ में दिनांक 25.04.2026 की युगलपीठ को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/25.04.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/421/2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6, वाराणसी।
- 2- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक विवरण/वेव अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।